

छत्तीसगढ़ ऑफिस मैन्युअल
(प्रक्रमांक अंकिती)

प्राची के ग्रन्थपूर्ण रूप से प्राचुर होने से इसी प्रकार नीतीश के द्वारा उचित नियमों का विवरण किया गया है। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए।

यह कि यह ग्रन्थपूर्ण रूप से प्राचुर होने से इसी प्रकार नीतीश के द्वारा उचित नियमों का विवरण किया गया है। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए।

प्राची के ग्रन्थपूर्ण रूप से प्राचुर होने से इसी प्रकार नीतीश के द्वारा उचित नियमों का विवरण किया गया है। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए।

प्राची के ग्रन्थपूर्ण रूप से प्राचुर होने से इसी प्रकार नीतीश के द्वारा उचित नियमों का विवरण किया गया है। इन नियमों का उपयोग सरकारी विभागों में जल्दी से जल्दी एवं उचित रूप से किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ ऑफिस मैन्युअल

हैपडबुक 2019

विषय सूची



विषय	पृष्ठ क्र.
अध्याय 1	
लोक सेवाएँ एवं लोक सेवक	1
1. लोक सेवाएँ	1
2. लोक सेवाएँ एक सर्वेधारिक व्यवस्था	1
3. परिभाषाएँ	1
4. राज्य लोक सेवाओं का वर्गीकरण	4
अध्याय 2	
सेवा में नियुक्ति की शर्तें	
1. नियुक्ति का अभिप्राय	5
2. सेवा शर्ते एवं नियुक्ति नियमावली	5
3. नियुक्ति हेतु आवश्यकता	5
4. नियुक्ति हेतु अपात्रता	6
5. नियुक्ति की रीति	6
6. नियुक्ति के लिए सैक्षणिक योग्यता	6
7. सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा	7
8. सीधी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा	7
9. महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट	8
10. वर्ग विशेष के उम्मीदवारों में विशेष छूट	8
11. शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट	9
12. पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट	9
13. सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट	10
14. जनगणना कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट	10
15. उक्त खिलाड़ियों को आयु सीमा में छूट	10

(v)

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
16.	एडाक नियुक्ति	11
17.	अस्थाई नियुक्ति	11
18.	एडाक एवं अस्थाई नियुक्तियों में अंतर	11
19.	परिवीक्षा पर नियुक्ति	12
20.	विकलांगों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट	12
21.	लोक सेवा आयोग के अलावा छत्तीसगढ़ की शासकीय सेवा में भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के विद्यालय/महाविद्यालयों से शैक्षणिक अहता की अनिवार्यता	12
22.	ऑनलाइन आवेदन के साथ ही डाक द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित करने विषयक	13
23.	एक पद पर दो या दो से अधिक नियुक्ति	13
24.	नियुक्ति होने के उपरान्त अपात्र होने पर कार्यवाही	14
25.	शिक्षक (पं.) संवर्ग की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में	14
26.	शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षक (पं./न.पि.) का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन	15
27.	रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में	16
28.	शीघ्रलेखक, स्टेनोटायपिस्ट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 को नियुक्ति हेतु काम्प्यूटर संबंधी अहता जोड़ने एवं स्थानाओं को भान्डा के संबंध में	17
	अध्याय 3	
1.	अनुकम्पा नियुक्ति	19
2.	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देश वर्ष 2013, संशोधन के साथ	20
3.	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत के नियुक्ति लीसी बंधन को एक वर्ष के लिए शिविल करना	31
4.	लापता शासकीय सेवक के परिवार के आंत्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति बाबत	32
5.	अनुकंपा नियुक्ति के लियत प्रकरणों का तस्वीरपूर्वक निराकरण करने के संबंध में	32
6.	सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत एकाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 के संबंध में स्पष्टीकरण	33
7.	शिक्षक (पंचावत) संवर्ग के कर्मचारी की असामियक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आंत्रित सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में	33

अनुकम्पा नियुक्ति

6/3



c6

विषय	पृष्ठ क्र.
1. अनुकम्पा नियुक्ति - दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के आंत्रित सदस्यों के संबंध में स्पष्टीकरण	35
2. दिवंगत अविवाहित शासकीय सेवक के आंत्रित माता, पिता, भाई एवं बहन को चर्चुर्ण श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा शैक्षणिक अहता में छूट प्रदान करने बाबत स्पष्टीकरण	36
अध्याय 4	36
संविदा नियुक्ति	36
1. संविदा नियुक्ति	38
2. छत्तीसगढ़ द्रेश में संविदा नियुक्ति	38
3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के मुख्य प्रावधान	38
4. चिकित्सा अधिकारियों के संविदा वेतन का निर्धारण	45
5. संविदा पर नियुक्त (आयुर) के अंतर्गत सिविल सांखिकारियों के संविदा वेतन का निर्धारण	46
6. राज्य शासन की सेवाओं के सिभिन्न पदों पर एकमत्त संविदा वेतन का निर्धारण	46
7. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन का निर्धारण	47
8. छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के संबंध में स्पष्टीकरण	49
9. शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपकरणों, नारीय निकायों, सहकारी संस्थाओं तथा शासन द्वारा चलाये जा रहे संस्थाओं में कार्यरत डेका तथा आकर्षितक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रक्रीण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुकृता उपलब्ध करने बाबत	50
अध्याय 5	50
नियुक्ति में आरक्षण प्रावधान	50
1. लोक सेवाओं के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण	53
2. छत्तीसगढ़ राज्य (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994	53
3. पदों के आरक्षण के लिए प्रतिशत का नियत किया जाना और मूल्यांकन के मानक	58
4. विविधों को अप्रीत करना	58
5. चयन समिति में प्रतिनिधित्व	59
6. अनिवार्यम नियुक्तियाँ	59
7. नियुक्ति आदेश में प्रमाणीकरण	59

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
अध्याय 20		
अधिगम वेतन वृद्धियाँ		
1.	अधिगम वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हेतु सक्षम प्राचीकारी	269
2.	स्नातकोत्तर तथा अन्य उपाधियों हेतु अधिगम वेतन वृद्धि	269
3.	परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिगम वेतन वृद्धियाँ	270
4.	लोखा-प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	270
5.	न्यायालयीन प्रक्रणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी को विशेष वेतन वृद्धि	270
6.	स्वयं के व्यय पर बी.एड. आदि करने पर वेतन वृद्धि	271
7.	खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक करने वाले कर्मचारी खिलाड़ियों को अधिगम वेतन वृद्धि	271
अध्याय 21		
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017		
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	274
2.	शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे	274
3.	परिभाषाएं	275
4.	पदों के लेवल	276
5.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण	276
6.	विकल्प का प्रयोग	277
7.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण	278
8.	दिनांक 1 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् नवनियुक्त शासकीय	281
9.	कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण	282
10.	वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धि	282
11.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगामी वेतनवृद्धि की तारीख	283
12.	पुनरीक्षित वेतन संरचना में 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् वेतन का नियतन	283
13.	दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धूरत किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् पुनर्नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण	283
14.	वेतन के वकाया के भूतान की रीति	283
15.	नियमों का अध्यारोही प्राव	285
16.	शिथित करने की शक्ति	285
17.	निवेदन	285



क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
अन्य प्रकार के भत्ते		
1.	गृह भाड़ा भत्ता	311
2.	नगर क्षेत्रीय पूर्ति भत्ता	319
3.	वाहन भत्ता (मेत्रालयीन कर्मचारी)	319
4.	वाहन भत्ता	320
5.	विकलांगों को वाहन भत्ता	321
6.	परियोजना भत्ता	322
7.	रोकड़िया को नाद भत्ता	322
8.	वर्दी एवं धूलाई भत्ता	323
9.	पटवारियों को स्टेनोग्राफरी भत्ता	323
10.	पटवारियों को विशेष भत्ता	324
11.	सार्वांगिक भत्ता	324
12.	पौर्स्टिक आहार भत्ता	324
13.	शीघ्र लेखकों को द्विघासी भत्ता	324
14.	फोटो कार्यपाल का संचालन भत्ता/विशेष वेतन	324
15.	स्टेनो/टायपिस्ट एवं दफ्तरियों को देय विशेष वेतन में वृद्धि	325
16.	सर्विवालय भत्ता	325
17.	महांगाई भत्ता	326
18.	करुणा भत्ता	330

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
19.	अंतर्राम राहत	330
20.	कोटवारों का भत्ता	331
21.	बस्टर संभाग के शासकीय सेवकों हेतु 'बस्टर' भत्ता	331
22.	उच्च पद का अविरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ता	332
23.	न्यायाधिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रीविड्युटिव भत्ता	334
24.	नई दिल्ली रियत कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष भत्ता	334
25.	कर्मचारी राज्य बोर्ड सेवाएँ के अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता	334
26.	शिक्षक संघर्षों को विशेष परिवेश भत्ता स्वीकृत करने वाला	334
27.	राज्य शासन के लिपिक व्यारीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता	335
28.	कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता के पात्रता का निर्धारण	335
29.	चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रैविट्स पर प्रतिबंध की रियति में अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता	336
30.	छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के आधार पर निजी प्रैविट्स प्रतिबंध हेतु देव अव्यवसायिक भत्ते की गणना	338
31.	चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों को निजी प्रैविट्स पर प्रतिबंध की रियति में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत अव्यवसायिक भत्ते की पात्रता	339
32.	वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने वाला	340
33.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा	341
अध्याय 23		
ऋण एवं अग्रिम		
1.	प्रस्तावना	342
2.	व्यावरणीय अग्रिम	342
3.	शासकीय सेवकों को वित्तीय संस्थाओं से गृह निर्माण/क्रय, वाहन, कंप्यूटर अन्य घरेलू उपकरण का क्रय एवं उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना	344
4.	स्व-वाहन सुविधा योजना	351
5.	वाहन अग्रिम	352
6.	ऋण तथा अग्रिम के संबंध में	352
अध्याय 24		
(३) शासकीय सेवकों को चिकित्सा सुविधा		354
1.	प्रस्तावना	



क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
2.	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा विविधाय) नियम, 2013	354
3.	राज्य के अन्दर निजी चिकित्सालयों से उपचार हेतु मान्यता प्रदान करना	365
4.	राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों से उपचार हेतु पात्रता प्रदान करना	373
5.	मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों से उपचार करने की प्रक्रिया	377
6.	छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा उनके परिवारों में आंत्रित सदस्यों को राज्य के बाहर स्थित चिकित्सालयों में विविध चिकित्सा परिचर्चा एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने वाला	378
अध्याय 25		
यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता		
1.	दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता	382
2.	पूरक नियम 20(सी) के अनुसार रेल द्वारा की गई यात्रा हेतु पात्रता	382
3.	शासकीय सेवकों द्वारा हवाई यात्रा	383
4.	सड़क मार्ग से लोक वाहन द्वारा यात्रा	383
5.	मील भत्ता की दर	383
6.	शासकीय सेवकों के लिए प्रवास दैनिक भत्ता, आवास भत्ता, स्थानीय परिवहन व्यवहार की स्वीकृति	384
7.	शासकीय सेवकों का नया रायपुर में निवास हेतु प्रोत्साहन	388
8.	शासकीय सेवकों द्वारा राज्य के बाहर यात्रा भत्ता की पात्रता	388
9.	स्थाई यात्रा भत्ता	389
10.	अन्य यात्रा भत्ता	390
11.	न्यायिक सेवा के अधिकारियों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण	396
12.	शासकीय सेवकों द्वारा की जाने वाली हवाई यात्रा के संबंध में	397
13.	ग्राम पंचायत सचिवों के स्थायी यात्रा में वृद्धि	398
अध्याय 26		
अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के लिए अवकाश यात्रा रियायत		
1.	प्रस्तावना	399
2.	अखिल भारतीय सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियम, 1975 के मुख्य प्रावधान	399
3.	केंद्र सरकार का निर्देश अन्तिम	399
4.	नियम 3 के विषय में भारत सरकार महत्वपूर्ण अनुदेश	400
5.	यात्रा भत्ता, यात्रा दिवस के 60 दिन पूर्व अग्रिम के रूप में मान्य	400

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
35.	रज्य के पेंशनरों हेतु 'ऑन लाईन पेंशन पैनेजमेंट सिस्टम' - "आभार-आपकी सेवाओं का" लागू करने के संबंध में	620
	अध्याय 46	620
102.	सेवानिवृत्त लाभ : अधिल भारतीय सेवा के सदस्यों की स्थिति में	631
1.	प्रस्तावना	631
2.	अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम का विस्तार एवं	631
103.	प्रभावशीलता	631
3.	अन्य सुसंगत एवं महत्वपूर्ण प्रावधान	631
4.	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्थिति में	635
5.	परिवार पेंशन की पात्रता	635
6.	सेवानिवृत्ति उपादान या पेंशन	635
7.	नियम 16 के विषय भारत सरकार के अनुरेक्षण	637
8.	सेवानिवृत्ति पेंशन एवं उपादान	639
	अध्याय 47	639
103.	कुटुंब पेंशन	641
1.	कुटुंब पेंशन या परिवार पेंशन	642
2.	परिवार पेंशन की राशि	642
3.	नियममंडल आदि से संबंधित कर्मचारियों को परिवार पेंशन	642
4.	कल्पूटेड पेंशन के प्रत्यावरतन से संबंधित नियंत्रण	642
5.	परिवार पेंशन की उच्चतम दर	645
6.	परिवार पेंशन की सीमा	645
7.	परिवार का विवरण	647
8.	परिवार से तात्पर्य	647
9.	उच्च दर पर परिवार पेंशन की गणना	648
10.	पुरुष एवं महिला दोनों शासकीय सेवक होने पर परिवार पेंशन की स्थिति	648
11.	कब परिवार पेंशन की पात्रता नहीं होगी	649
12.	सेवानिवृत्ति के उपरात किए गए विवाह/युवरिवाह के मामले के पात्रपनी और उनसे पैदा बच्चों को परिवार पेंशन की पात्रता	649
13.	सेवारत परिवार पेंशनरों पर राहत की पात्रता	650
14.	अवयवक के मामले में भुगतान की प्रक्रिया	650
15.	परिवार पेंशन पर कुछ महत्वपूर्ण न्यायालयीन नियंत्रण	650



16.	दिनांक 1-1-1996 के पूर्व सेवानिवृत्तों की पात्रताएं वेतन आयोग को अनुसंधानुसार पेंशन का पुनरीक्षण	651
17.	दिनांक 1-1-2016 को अथवा परचात् सेवानिवृत्तदिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण	652
18.	दिनांक 1-1-2016 को अथवा परचात् सेवानिवृत्त या दिवंगत कार्यपारित तथा आकस्मिकता नियंत्रण से वेतन पाने शासकीय सेवकों का पेंशन पुनरीक्षण	653
19.	दिनांक 01-01-2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें	654
20.	दिनांक 1-1-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण	655

अध्याय 48**असाधारण पेंशन**

1.	असाधारण पेंशन	657
2.	असाधारण पेंशन की प्रभावशीलता	657
3.	असाधारण पेंशन नियम 1963	657
4.	असाधारण पेंशन नियम 1965	660
5.	भुगतान की प्रक्रिया	662

6-3 समूह बीमा योजना एवं परिवार कल्याण नियंत्रण योजना		
1.	समूह बीमा योजना	663
2.	बचत राशि व्यव्य	665
3.	अंशदान की वसुली	665
4.	एक ब्रेगी से दूसरी ब्रेगी में परोनति पर स्थिति	665
5.	अभिलेखों का संधारण	666
6.	योजना के लाभ	666
7.	योजना में जमा राशि का भुगतान	666
8.	अंशदान में इकाई की संख्या, बीमा राशि एवं बचत नियंत्रण का विवरण	667
9.	छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना में दिनांक 1 जुलाई 2003 को की गई वृद्धि पर राज्य शासन का स्पष्टीकरण	669
10.	छत्तीसगढ़ परिवार कल्याण नियंत्रण योजना, 1974	669

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
अध्याय 50		
१२६	नवीन अंशदायी पेशन योजना, 2004	६७१
१. नवीन अंशदायी पेशन योजना, 2004	६७१	
२. आहरण एवं सेवितण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यावाही	६७२	
३. नवीन अंशदायी पेशन योजना की व्यवस्था हेतु राज्य शासन के निर्देश	६७२	
४. नवीन अंशदायी योजना के अधीन सेवा के दोरान मूल्य होने अवधारी बीमारी के कारणों के आधार पर असमर्थता पेशन सेवानिवृति होने पर उन्हें यो उक्ते परिवार जन को सेवानिवृति हित लाभ की पात्रता	६७५	
५. आकस्मिकता एवं कार्यभारिता सेवा के सदस्यों पर योजना लागू होना	६७७	
६. राज्य शासन के अधीन स्वयंसेवी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/नियामों/मण्डलों/सार्वजनिक उपरामों/विकास प्राधिकरणों/गवर्नरी निकाय में परस्पर कर्मचारियों पर	६७७	
७. नवीन अंशदायी योजना का प्रभावशील	६७७	
८. नवीन अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृति, सेवा त्याग एवं मूल्य के प्रकारों में फण्ड मैनेजरों के पास जमा राशि का भुगतान	६८०	
९. नवीन अंशदायी पेशन योजना के सदस्यों के मूल्य/अंगता पर अधिकारिक हितालाभ	६८२	
१०. नवीन अंशदायी पेशन योजना में हुए कट्टीत्रों को सामाचार अधिकारी निधि	६८२	
११. (जी.पी.एफ./डी.पी.एफ.) में समाचेजित करने वालत्	६९२	
१२. नवीन अंशदायी पेशन योजना के अधिदाताओं का मासिक अंशदान समय पर जमा किया जाता सुनिश्चित करने के संबंध में	६९५	
१३. नवीन अंशदायी पेशन योजना के सदस्यों हेतु सेवानिवृति उपादान एवं मूल्य	६९६	
१४. उपादान लागू करने वालत्	६९६	
१५. अंशदायी पेशन योजनानंतर शासकीय सेवक के अधिवारिकी आयु में सेवानिवृत्ति होने पर अंतिम माह का अंशदान कटौती न किये जाने वाला	६९७	
१६. नवीन अंशदायी पेशन योजना के अधिदाताओं का वेतन समय पर जमा/भुगतान नहीं होने पर अधिदाताओं को होने वाली व्याज की हानि की वस्तु के संबंध में	६९८	
१७. वाह्य सेवा में कार्यरत शासकीय सेवकों का वेतन आहरण एवं अंशदायी पेशन योजना का मासिक अंशदान जमा करने वालत्	६९९	
१८. नवीन अंशदायी पेशन योजनानंतर जमा राशि का आंशिक आहरण की प्रक्रिया	७०१	
१९. नवीन अंशदायी पेशन योजना के क्रियान्वयन हेतु समय/सीमा में उत्तरण/वालत्	७०४	
२०. नवीन अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत अन्ते वाले शासकीय सेवकों के वेतन से अधिदान की कटौती प्रथम माह से प्रारंभ करने वालत्	७०७	

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्र.
२१	नवीन अंशदायी पेशन योजना अंतर्गत मासिक अंशदान की कटौती के संबंध में	७०८
अध्याय 51		
२२	पेशन कम्पूटेशन	७०९
१. पेशन कम्पूटेशन क्या है ?	७०९	
२. पात्रता	७०९	
३. अप्राप्तता	७०९	
४. पेशन कम्पूटेशन की अन्तिम सीमा	७०९	
५. नामांकन	७१०	
६. आवेदन पत्र	७१०	
७. सारांशीकरण	७१०	
८. अनितम पेशन का भूतलक्षी पुरुरीक्षण	७११	
९. पेशन के कम्पूटेड भाग का प्रयावरण	७१२	
१०. कम्पूटेशन का प्रार्थकार जारी करना	७१२	
११. कम्पूटेशन मूल्य का उदाहरण	७१२	
१२. विभिन्न प्रारूपों का प्रदर्शन	७१४	
अध्याय 52		
१३	अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का पेशन सारांशीकरण	७१७
१. प्रस्तावना	७१७	
२. मुख्य प्रावधान	७१७	
३. सारांशीकरण की गणना	७१९	
अध्याय 53		
१४	अनुग्रह राशि	७२२
१. अनुग्रह राशि	७२२	
२. अनुग्रह राशि का विवरण	७२२	
३. अनुग्रह राशि की गणना	७२२	
अध्याय 54		
१५	शासकीय वाहन दुर्घटना बीमा योजना	७२२
१. प्रभावशील	७२३	
२. पात्रता	७२३	
३. योजना का लाभ	७२३	
४. अंशदान	७२३	
५. किन परिस्थितियों में देय	७२३	
६. प्रशासकीय नियंत्रण	७२३	

